उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-12

संख्या-07/2022/10/23-12-2022-549/2017

लखनऊ: दिनांकः 14 फरवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र के 02 चालू कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश सं0-04/2022/10/23-12-2022-549/2017, दिनांक 09.02.2022 के प्रथम पृष्ठ के प्रथम प्रस्तर की सारणी के कालम सं0-07 में वर्णित अब तक आवंटित धनराशियों का योग टंकण की त्रुटिवश रू0 6837.07 लाख अंकित हो गया है, जो वास्तव में रू0 7237.07 लाख है। अतः उक्त शासनादेश के प्रथम पृष्ठ के प्रथम प्रस्तर की सारणी के कालम सं0-07 में अंकित धनराशि रू0 6837.07 लाख के स्थान पर रू0 7237.07 लाख पढ़ा जाये।

2- शासनादेश सं0-04/2022/10/23-12-2022-549/2017, दिनांक 09.02.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

सं0-07/2022/10(1)/23-12-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 लोक निर्माण मंत्री ,लो0नि0वि0,उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11- लोक निर्माण अनु0-10
12- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in